संख्याः 793 /24-पी-3-2023-25/2022

प्रेषक,

अनुपम शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 विधुत नियामक आयोग,
गोमती नगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2023

विषयः उ0प्र0 डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 के प्रस्तर-7.1 (द)(ii) के अनुसार ट्रांसमिशन एण्ड व्हीलिंग शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 के पत्र संख्या-13/2023/225/78-2-202310(एम)/2021 दिनांक 13.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 (छायाप्रति संलग्न) के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 के प्रस्तर-7.1 (द)(ii) में निम्नलिखित प्राविधान हैं:-

7.1 (द)(ii) <u>ट्रांसमिशन एण्ड व्हीलिंग शुल्क</u>

- विद्युत ऊर्जा के इन्ट्रास्टेट (राज्य के अन्दर) उपयोग पर व्हीलिंग शुल्क / ट्रॉसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- इन्ट्रास्टेट ट्रॉसमिशन प्रणाली पर ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय विक्रय हेतु व्हीलिंग शुल्क / ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी !
- राज्य के बाहर से ऊर्जा के आयात पर इन्ट्रास्टेट प्रणाली पर 5 वर्षो तक ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट। यह केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगी जो नीति की अवधि (5 वर्षो) के दौरान परिचालनरत / आरम्भ हो गये हों।

3- इस सम्बन्ध में विघुत अधिनियम 2003 की धारा-108 के अन्तर्गत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नीति के प्रस्तर-7.1 (द)(**ii**) के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव।

arvind draft

संख्या-   /24-पी-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् :-

1. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन,लखनऊ ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उ०प्र०, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ /दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लि० (केस्को). कानपुर।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
6. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स-2।
7. औद्योगिक अनुभाग-6
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव।

arvind draft